International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume V, Issue IV, December 2018 Available online at: www.ijaur.com

कोल एवं गोंड जनजातियों की आधुनिक सामाजिक व्यवस्था

अबनीश कुमार पटेल
शोधार्थी, समाज शास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रमणत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

सारांश– कोल एवं गोंड जनजाति में गोत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कोल जनजाति में कई गोत्र होते है। एक गोत्र समूह अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानता है। यहाँ गोत्र बर्हिविवाही होते है, जबकि जाति अर्न्तविवाही होती है। अर्थात् जनजाति के लोग अपनी जाति के बाहर एवं अपने ही गोत्र में शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। यह जनजाति स्वनिर्मित सामाजिक नियमों द्वारा अनुशासित है। इनकी अर्थव्यवस्था में स्त्रियों की भूमिका सभ्य समाज की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस समाज में नई पीढ़ी के पालन–पोषण की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है किनतु उसके द्वारा निर्देशित कार्यो में परिवार के समस्त सदस्यों की भागेदारी होती है। बच्चे विभिन्न कोर्या, आदर्शो एवं नैतिक दायित्वों की जानकारी समुदाय के कार्यो का अनुसरण कर प्राप्त करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था में स्त्रियों की समान साझेदारी होती है और बच्चे एवं युवा भी समुदाय के बीच रहकर अपने उत्तरदायित्व, गृहस्थ कार्य एवं अर्थव्यवस्था में निर्वहन करते है।

मुख्य शब्द – सामाजिक, पालन–पोषण, कोल एवं गोंड जनजाति।

प्रस्तावना –

रीवा जिले के कोल एवं गोंड जनजातियों के समाज में पुरूषों का स्थान स्त्रियों से ऊपर है। फिर भी स्त्रियों को बहुत से ऐसे अधिकार एवं सुविधाएँ हैं, जो तथाकथित सभ्य समाज में कभी नहीं पायी जाती थी। जनजतियों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, या सती प्रथा नहीं थी। इस तरह बाल–विधवाओं संबंधी सामाजिक बुराइयाँ उनमें नहीं पनपीं। सभ्य समाज का एक ही दुर्गुण जनजातियों में समान रूप से पाया जाता है, और वह है–बहु विवाह प्रथा। जनजातियों में तलाक सरलता से दिया जा सकता है और इस स्थिति में भी स्त्री कभी आर्थिक शोषण का शिकार नहीं होती। कोल एवं गोंड जनजातियों में स्त्रियों को एक मूल्यवान वस्तु माना जाता है, क्योंकि उन्हें वधू शुल्क चुकाना पड़ता है किन्तु उस तुलना में हिन्दुओं के उच्च वर्ग में स्त्रियों को अपदार्थ ही माना जाता है। कोल एवं गोंड जनजाति की स्त्री, पुरूष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य कार्यो में बराबरी से भाग लेती है। धार्मिक कार्यो में उसे उतना स्थान प्राप्त नहीं है। पुरूष वर्ग शिकार और कृषि जैसे अधिक श्रम वाले कार्य करता है तथा परिवार के भरण–पोषण की जिम्मेदारी उसी पर होती है। सामाजिक संगठनों जैसे पंचायत तथा मुखिया का पद भी पुरूषों को ही प्राप्त होता है। व्यक्तिगत स्तर पर अवश्य ही कुछ कोल एवं गोंड जनजाति पुरूषों द्वारा स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे घर में किसी बात पर विवाद होने पर पति द्वारा पत्नी को गाली देना या कभी–कभार मारपीट की घटनायें भी सामने आती हैं।। जिले के आदिवासियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में कुछ अन्तर दिखाई देते हैं। इसका मूल कारण सामाजिक आर्थिक स्तरीकरण है, जो जातियों के प्रभाव के कारण तथा एक समूह को दूसरे से भौगोलिक दूरी के कारण विकसित हुआ है। जनजातियों में भी एक वर्ग उच्च है तो दूसरा निम्न है।

विश्लेषण –

कोल एवं गोंड जनजातीय परिवार पितृवंशीय होते हैं। यहाँ परिवार में पति के अतिरिक्त और भी सदस्य होते हैं। पुरूष एवं स्त्री के बीच समाज में स्वीकृत नियमों व अनुसार विवाह होता हैं, इसके पश्चात् वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, जिन्हें पति–पत्नी के रूप में रहने की स्वीकृति समाज प्रदान कर देता है। विवाह के बाद वर एवं कन्या पक्ष के लोग भी आपस में नातेदारी रिश्तेदारी में बंध जाते हैं। इन सबके विशिष्ट पद होते हैं जिन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। सारणी क्रमांक 01 में कोल एवं गोंड जनजाति में नातेदारी एवं संबोधन का उल्लेख किया गया है।

सारणी क्रमांक 01. कोल एवं गोंड जनजाति में नातेदारी एवं संबोधन

क्रं.	व्यक्ति या नातेदार	संबोधन	क्रं.	व्यक्ति या नातेदार	संबोधन
1	माता	दाई	2	पिता	बाबू, दउआ
3	बड़े भाई	बाबू या भइया	4	छोटे भाई को	दादू या नाम से
5	बहन	बहिनिया	6	पिता के पिता	दादा
7	पिता की माता	छादी	8	चाचा	काका
9	चची	काकी	10	सास	अम्मा
11	स्सुर	ब्बा	12	देवर	छेवरा
13	न्नद	नन्द	14	मामा	म्मा
15	ड्डआ	फुआ/फुफू	16	नानी	बड़का दाई
17	ननना	नाना या बड़का दादा			

स्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

अध्ययनरत क्षेत्र कोल एवं गोंड जनजातियों में नातेदारी संबंध दो प्रकार के होते हैं– 1. प्राणीशास्त्रीय, अर्थात् खून का रिश्ता और 2. सामाजिक संबंध अर्थात् विवाह द्वारा बने रिश्ते। इन दोनों ही प्रकार के स्थापित संबंधों के आधार पर नातेदारी के तीन स्तर होते हैं–

प्राथमिक या प्रथम कोटि संबंध –
जिन व्यक्तियों का एक दूसरे से किसी माध्यम से न होकर सीधा संबंध होता हैं वे प्रथम कोटि के संबंधी कहलाते हैं, जैसे पति–पत्नी, पिता–पुत्र, भाई–बहिन का संबंध। कोल एवं गोंड जनजाति में ऐसे संबंधों को प्रथम कोटि का संबंध माना जाता है।

द्वैतीयक या द्वितीय कोटि संबंध –
जिन व्यक्तियों के बीच प्रथम कोटि का संबंध नहीं होता, किन्तु वे अपने प्रथम कोटि के संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं, उन्हें द्वितीय कोटि संबंधी कहा जाता है। जैसे–चाचा–भतीजे का संबंध, बेटा–सौतेली माँ का संबंध, देवर–भाभी, जीजा–साली, सास–दामाद, ससुर–बहू का संबंध द्वितीय कोटि के संबंध है।

तृतीय कोटि का संबंध –
जिन व्यक्तियों के बीच नातेदारी के संबंध संख्या में बढ़ते जाते हैं किन्तु आत्मीयता एवं रिश्तेदारी के बन्धन घटते जाते हैं ऐसे संबंधों को तृतीय कोटि का संबंध कहा जाता हे। जैसे–मामी–भतीजे का संबंध, इसी का उदाहरण है। तृतीय कोटि के संबंधों में मौसिया, माँ के चाचा–चाची, जेठानी देवरानी, नन्दोई, पत्नी के चाचा, मामा आदि आते हैं। कोल एवं गोंड जनजातियों में नातेदारी एवं उनके संबंधों का क्षेत्र उच्च हिन्दू जातियों की भांति ही पाया जाता है। इनके संबंधों का क्षेत्र प्रथम कोटि से द्वितीय कोटि में अधिक होता है। और यह तृतीय कोटि में पहुँचते–पहुँचते बहुत अधिक हो जाता है। अर्थात् संबंधियों की संख्या बढ़ती जाती है किन्तु संबंधों या नातेदारी में जो स्नेह एवं आत्मीयता प्रथम कोटि में होती है वह द्वितीय एवं तृतीय कोटि में क्रमशः कम होता जाता है। कोल एवं गोंड जनजातियों में नातेदारी के माध्यम से संबंधों को नियंत्रित किया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार व्यवहार करेगा यह उनके नातेदारी के संबंधों पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष –
ग्रामीण जीवन पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण परिवेश लगभग पहले जैसा ही है। कोल एवं गोड़ जनजाति के संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि क्षेत्र में हुए सामाजिक जीवन एवं आर्थिक जीवन के बदलाव के कारण कोल एवं गोड़ जनजाति में उन्नति के बजाय उनकी समस्या ज्यादा बढ़ी है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने सामाजिक नीति निर्धारण के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्माण किया और कोल एवं गोड़ जनजाति के अतिरिक्त अन्य जातियों के विकास का कार्यक्रम सुनिश्चित किया। इस जनजाति के अतिरिक्त अन्य जनजातियों में जातिगत बंधन या प्रतिबंध लगे हुये हैं। वे उनके उचित भूमि के निर्वहन को प्रभावित करते हैं फलतः उनकी सामाजिक दशा निम्न होती जाती है। धार्मिक मान्यतायें भी सैद्धान्तिक व नैतिक आधार पर इस तरह के प्रतिबंधों के लिये उसे बाध्य करती हैं जिसके कारण भी उकनी सामाजिक हैसियत बनी रहती है।

संदर्भ –

1. कुरुक्षेत्र – ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रकाशन।
2. योजना – योजना भवन सांसद मार्ग, नई दिल्ली का प्रकाशन।
3. आगे आऍं लाभ उठाऍं – सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन का प्रकशन 2008।
4. उद्यमिता – उद्यमिता विकास मध्यप्रदेश शासन का प्रकाशन।
5. डॉ0 अरुण गंगेल – उद्यमिता विकास मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2008।
6. गौर पी0पी0 एवं मराठा – पंचायत राज ग्रामीण विकास, आदित्य पब्लिशर्स, बीना, 2006।
7. डॉ0 व्ही0के0 जैन – आर्थिक विकास के सिद्धान्त, कालेज बुक डिपो, जयपुर नवीन संस्करण 2010।
8. जीद एवं रिस्ट चार्ल्स – आर्थिक विचारों का इतिहास, राधा पब्लिकेशन दरियागंज, नई दिल्ली, 2005।
9. डॉ0 कटारिया, सुरेन्द्र – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आर0वी0एस0ए0 पब्लिशर्स एस0एम0एस0 हाइवे, जयपुर 2008।
10. डॉ0 पन्त, डी0सी0 – भारत में ग्रामीण विकास, कालेज बुक डिपो, जयपुर नवीन संस्करण 2010।